कम्प्यूटर के माध्यम से संस्कृत कक्षाऐं संचालन हेतु

विद्यालय की ओर से भेजा जाने वाला अनुरोध पत्र का प्रारूप

प्रधानाचार्य/ प्राचार्य/ प्रबन्धक का नाम- श्री/श्रीमती/सुश्री/ डॉ.....

विद्यालय/ महाविद्यालय का नाम.....

विद्यालय/ महाविद्यालय का पता .....

..... जनपद..... पिन कोड .....

दूरभाष ..... ई-मेल (कैपिटल लेटर में लिखें).....

सम्बद्धता (बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम):- .....

कम्प्यूटर शिक्षा लेने वाले छात्रों की कुल संख्या ..... कक्षा का नाम.....

कक्षा आरंभ करने का संभावित दिनांक ..... से दिनांक ….....…..... तक

विद्यालय/ महाविद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए कम्प्यूटर की उपलब्धताः है / नहीं है ...

ऐसे प्रशिक्षणार्थियों की संख्या जिसके पास स्मार्टफोन/ टैबलेट/ लैपटॉप है (नीचे अलग-अलग विवरण दें)

विद्यालय में विद्युत की स्थितः- है / नहीं है । इन्टरनेट चलाने का लिए wifi या अन्य सुविधाः- है / नहीं है

प्रशिक्षण का संयोजन करने वाले अध्यापक का नाम.....

चयनित प्रशिक्षक के नाम की संस्तुति (यदि इच्छित हो तो) .....

घोषणा पत्र

मैं उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ से अपने विद्यालय में कम्प्यूटर के माध्यम से संस्कृत कक्षाऐं संचालित किए जाने हेतु इस पत्र के माध्यम से अनुरोध करता हूँ। इसकी नियमावली के अनुपालन का वचन देता हूँ। इस कक्षा में अध्ययन करने हेतु प्रतिदिन विद्यालय के छात्र उपस्थित रहेंगे। प्रशिक्षक को विद्युत, विद्युत बोर्ड तथा आवश्यक संसाधन युक्त एक कक्ष उपलब्ध करा दिया जाएगा। प्रशिक्षण स्थल पर इसका एक बैनर भी लगा दिया जाएगा। इस कक्षा की देखरेख मेरे/ मेरे द्ववारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। इस प्रपत्र में पूरित समस्त विवरण मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण एवं सत्य हैं। इसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

दिनांक:- अनुरोधकर्ता का मुहर सहित हस्ताक्षर

नियम एवं दिशा निर्देश

योजना की रूपरेखा तथा नाम

2. कम्प्यूटर द्वारा संस्कृत कक्षा योजना के लिए दो प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होंगे। इसमें (एक) 30 कार्यदिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम तथा (दो) 30 कार्यदिवसीय उन्नत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगा।

प्रशिक्षक की योग्यता तथा चयन की प्रक्रिया

29. आवेदक की योग्यताः- ऐसा आवेदक जिसने किसी भी विषय से स्नातक की उपाधि प्राप्त किया हो तथा इन्टरमीडिएट/ समकक्ष कक्षा में एक विषय के रूप में संस्कृत का अध्ययन कर उत्तीर्ण किया हो आवेदन का पात्र होगा । संस्कृत विषय से स्नातक/ शास्त्री उत्तीर्ण उत्तर प्रदेश के निवासी आवेदक को चयन में वरीयता दी जाएगी। आवेदक को कंप्यूटर के माध्यम से संस्कृत की कक्षाएं संचालित किए जाने के लिए के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के शिक्षण में दक्ष होना अनिवार्य है।

30. चयन की प्रक्रियाः- कम्प्यूटर द्वारा संस्कृत कक्षा योजना के संचालन हेतु क्रम संख्या 2 पर वर्णित उपाधिधारकों से शैक्षिक एवं व्यावसायिक योग्यता के प्रपत्र की ऑनलाइन / छायाप्रति के साथ आवेदन प्राप्त किया जाएगा। आवेदन प्राप्ति के बाद निर्धारित पाठ्यक्रम की मौखिक एवं प्रायोगिक परीक्षा लेकर आवेदकों का अनन्तिम रूप से चयन किया जाएगा। आवश्यकतानुसार चयनित प्रशिक्षकों को अल्पावधि का प्रशिक्षण देकर परीक्षा के माध्यम से उपयुक्त प्रशिक्षकों का अंतिम रूप से चयन किया जाएगा।

31. परीक्षा में उत्तीर्ण तथा चयनित प्रशिक्षकों का समूह निर्मित कर प्रशिक्षण हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा ताकि विद्यालयों से मांग के आधार पर सूची में अंकित चयनित प्रशिक्षकों को समय-समय पर विद्यालय में प्रशिक्षण देने हेतु प्रेषित किया जा सके।

प्रशिक्षण का विषय

कम्प्यूटर द्वारा संस्कृत कक्षा योजना हेतु संस्थान द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्यापन किया जाएगा।

प्रशिक्षण साक्ष्य, मानदेय एवं यात्रा व्यय

32. प्रत्येक प्रशिक्षक को प्रति कार्य दिवस की दर से रु. 1000/- मानदेय दिया जाएगा।

33. प्रशिक्षक को निवास स्थान से प्रशिक्षण स्थल विद्यालय तक आने जाने हेतु एक बार स्थानीय मार्गव्यय, नॉन एसी बस/ ट्रेन शयनयान का मार्गव्यय दिया जाएगा। किसी एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम अवधि के मध्य में निवास स्थान तक जाने आने का मार्गव्यय देय नहीं होगा। प्रशिक्षक को स्वयं के व्ययभार तथा व्यवस्था के अनुसार आवास की व्यवस्था करनी होगी।

34. विद्यालय में 30 दिवसीय पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त प्रशिक्षक को प्रशिक्षण साक्ष्य के लिए सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/ प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित पुष्टि प्रमाण पत्र, प्रशिक्षित छात्रों के नाम, पिता नाम, कक्षा, दूरभाष, उपस्थिति हस्ताक्षर तथा शिक्षण कार्य करते हुए फोटो / विडियो संस्थान में प्रस्तुत करना होगा। इस प्रपत्र के आधार पर प्रशिक्षकों के मानदेय का भुगतान किया जाएगा।

35. प्रशिक्षण कार्य में प्रतिभाग करते हुए यदि कोई प्रशिक्षक प्रशिक्षणकार्य पूर्ण किए बिना अकारण स्वेच्छा से प्रशिक्षण छोड़ देता है अथवा विद्यालय के लिए निर्धारित नियमों का उल्लंघन करता है तो ऐसी स्थिति में उसका मानदेय नहीं दिया जाएगा ।
36. विद्यालय में किसी अवकाश आदि कारणवश प्रशिक्षणकार्य को किसी चरण में सदा के लिए स्थगित किया जाता है तो सम्बन्धित प्रधानाचार्य/ प्राचार्य की अनुशंसा पर प्रशिक्षक को उस विद्यालय में प्रदत्त प्रशिक्षण अवधि का मानदेय दिया जा सकेगा ।

पाठ्यक्रम की अवधि तथा प्रशिक्षण दिवसों की गणना

37. संस्थान द्वारा इस योजना में योजित प्रशिक्षक को प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित होकर विद्यालय की पूर्ण अवधि तक निर्धारित पाठ्यक्रम का शिक्षण करना होगा।
38. कम्प्यूटर द्वारा संस्कृत कक्षा योजना का पाठ्यक्रम 30 कार्य दिवसीय होगा। प्रशिक्षण अवधि के बीच विद्यालय में षाण्मासिक परीक्षा तथा अन्य गतिविधियों के कारण प्रशिक्षण बाधित रहने की स्थिति में उस दिवस को छोड़कर शेष दिवस में पाठ्यक्रम को पूर्ण करना होगा।
39. विद्यालय में अवकाश के दिन में प्रशिक्षण कार्यक्रम को संचालित नहीं किया जाएगा अतः अवकाश अवधि तथा विद्यालय में आयोजित शैक्षणिक कार्यक्रम यथा- सभा, संगोष्ठी, जयन्ती, प्रतियोगिता आदि दिवस को प्रशिक्षण दिवस के रूप में गणना नहीं की जाएगी।

छात्र संख्या तथा सैद्धान्तिक तथा प्रायोगिक प्रशिक्षण की रूपरेखा

40. एक विद्यालय में सभी कक्षाओं को मिलाकर न्यूनतम 20 छात्रों को प्रशिक्षण देना होगा।
41. प्रतिदिन प्रशिक्षु छात्रों की एक सामूहिक कक्षा होगी। छात्रों की सुविधा तथा विद्यालय की व्यवस्था के अनुसार रिक्त कक्षा अवधि में छात्रों के छोटे-छोटे समूहों को प्रयोगात्मक अभ्यास कराया जाएगा । अवकाश के दिनों में गृहकार्य दिया जाएगा।
42. श्वेत फ्लैक्स पर पी.पी.टी. का प्रदर्शन किया जा सकता है। प्रशिक्षक अपनी सुविधा एवं व्यवस्था के अनुसार इसका निर्माण करायेंगें। जिसका भुगतान संस्थान द्वारा किया जाएगा।
43. प्रत्येक समूह को सैद्धान्तिक ज्ञान देने के साथ उसका आलेख उपलब्ध कराया जाय। प्रत्येक पाठबिन्दु का सामूहिक प्रायोगिक प्रशिक्षण दिया जाय।
44. प्रशिक्षण के मध्य छात्रों की प्रगति की जांच भी की जाएगी। परियोजना कार्य तथा पठितांश के प्रदर्शन के आधार पर छात्रों का असफल, सामान्य, मध्यम तथा उत्तम के रूप में ग्रेडिंग की जाएगी। उत्तम ग्रेड प्राप्त प्रशिक्षु द्वारा निर्मित समस्त परियोजना कार्य को ईमेल / ड्राइव लिंक द्वारा संस्थान कार्यालय में प्रेषित किया जाय।
45. प्रशिक्षण प्रगति की समीक्षा के लिए प्रतिमाह समस्त प्रशिक्षकों तथा प्रशिक्षुओं की ऑनलाइन गोष्ठी आयोजित की जाएगी।
46. परियोजना कार्य तथा पठितांश के प्रदर्शन में उत्तम प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रशिक्षक की अनुशंसा पर प्रोत्साहन धनराशि तथा प्रमाणपत्र दिया जाएगा, जबकि समस्त उत्तीर्ण प्रशिक्षुओं को प्रमाणपत्र दिया जाएगा।

शैक्षणिक उपकरण की व्यवस्था

47. प्रशिक्षण देने हेतु प्रशिक्षक के पास स्वयं का कम्प्यूटर/ लैपटॉप होना आवश्यक है। जिस विद्यालय में पूर्व से कम्प्यूटर की व्यवस्था है, प्रशिक्षण कार्य में उस उपकरण का भी उपयोग किया जाय। प्रशिक्षक द्वारा विद्यालय में प्रशिक्षण देने हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर संस्थान कार्यालय से भी लैपटॉप तथा प्रोजेक्टर प्राप्त किया जा सकता है।
48. प्रशिक्षक / विद्यालय को प्रशिक्षण अवधि में प्रशिक्षु छात्रों के लिए इन्टरनेट की व्यवस्था करनी होगी।

प्रशिक्षण हेतु विद्यालय से अनुरोध की प्राप्ति

49. कम्प्यूटर द्वारा संस्कृत कक्षा योजना के पाठ्यक्रम को संचालित कराने के इच्छुक विद्यालय को एक अनुरोध पत्र प्रेषित करना होगा, जिसमें विद्यालय में कम्प्यूटर तथा विद्युत की उपलब्धता, इन्टरनेट की उपलब्धता, प्रशिक्षण कक्ष की उपलब्धता, छात्र संख्या, प्रशिक्षण अवधि, प्रशिक्षण का संयोजन करने वाले अध्यापक का नाम तथा संस्थान द्वारा चयनित इच्छित प्रशिक्षक के नाम का उल्लेख हो।

विद्यालयों को प्रशिक्षण व्यवस्था हेतु देय धनराशि

50. प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था, फ्लैक्स निर्माण, इन्टरनेट की व्यवस्था, प्रशिक्षण स्थल की साफ सफाई आदि व्यवस्था हेतु एक विद्यालय को अधिकतम रूपये 3000.00 (तीन हजार मात्र) दिये जायेंगे।
51. विद्यालय द्वारा एक फ्लैक्स का निर्माण कराया जायेगा, जिसमें उ0प्र0 संस्कृत संस्थान द्वारा संचालितम् सङ्गणक द्वारा संस्कृतशिक्षणम्, प्रशिक्षण अवधि तथा प्रशिक्षक का नाम लिखा हो।

प्रशिक्षकों के लिए पालनीय नियम

52. शिक्षणकार्य में अनुशासन, समयबद्धता, निरन्तरता तथा स्वच्छता आवश्यक है। प्रशिक्षक द्वारा अमर्यादित आचरण, विना सूचना दिये कार्य से अनुपस्थित रहने, विद्यालय में पूर्ण अवधि तक प्रशिक्षण न देने तथा प्रभावी शिक्षण में असमर्थ पाये जाने पर उसे प्रशिक्षण कार्य से हटा दिया जाएगा ।
53. शिक्षक सदा शालीन परिधानों में ही शिक्षणकार्य हेतु विद्यालयों में जायेंगे।

कार्यक्रम की देखरेख

54. प्रशिक्षण की देखरेख सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/ संयोजन करने वाले अध्यापक द्वारा किया जाएगा। इसका निरीक्षण संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों अथवा संस्थान के द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किया जायेगा।
55. प्रशिक्षक को संस्थान द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
56. निदेशक, उ0प्र0 संस्कृत संस्थान किसी प्रशासनिक/नीतिगत कारणवश योजना में परिवर्तन करने अथवा निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान, लखनऊ द्वारा संचाल्यमान कम्प्यूटर के माध्यम से संस्कृत कक्षा में प्रशिक्षण देने हेतु सूचीबद्ध किये गये प्रशिक्षकों के नाम

क्रम	नाम–श्री/श्रीमती/सुश्री	जनपद
1.	आदित्य सच्चिदानन्द मिश्र	गोरखपुर
2.	अखिलेश मणि शुक्ला	लखनऊ
3.	जितेन्द्र कुमार पाण्डेय	चन्दौली
4.	अम्ब्रीश शुक्ला	बस्ती
5.	नितोश कुमार	भदोही
6.	विनोद कुमार	लखनऊ
7.	विमल कुमार पाण्डेय	वाराणसी
8.	सत्यम कुमार चौबे	वाराणसी
9.	डॉ.अरुण कुमार निषाद	सुल्तानपुर
10.	शिवदर्शन	अमेठी
11.	प्रद्युम्न	नई दिल्ली
12.	डॉ सुजीत कुमार त्यागी	वाराणसी
13.	लक्ष्मी नारायण उपाध्याय	अम्बेडकर नगर
14.	ऋषिराज शर्मा	ओरैया
15.	विजय कुमार	सीतापुर
16.	सुधांशू मिश्रा	सीतापुर
17.	लक्ष्मी निगम	लखनऊ
18.	मेघा जैन	लखनऊ
19.	लालेश गंगवार	पीलीभीत
20.	पूनम देवी	प्रयागराज
21.	सन्ध्या गुप्ता	कानपुर
22.	वैष्णवी छवि	बहराइच
23.	ट्विंकल मोहान्ति	वाराणसी